न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–33 / 2017–18

चन्देश्वर सिंह बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
24/10/18	**आदेश** यह अपील बकास्त / गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 08के0 / 2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–16.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है। **अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कहना है कि** बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा कुतुलपुर थाना नं0 56 खाता नं0 443 खेसरा नं0 2032 रकवा 25डी0 सर्वे खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है। भूतपूर्व मध्यवर्ती के उतराधिकारी के द्वारा प्रश्नगत खाता, खेसरा से $9\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड की बिक्री दिनांक–24.03.1960 के निबंधित केवाला से अपीलकर्ता की माता मोताबी कुंअर को किया गया। मोतावी कुँवर के नाम से जमाबंदी सं0 80 कायम है तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है। मोताबी कुँवर की मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र मोहन सिंह एवं चन्देश्वर सिंह, प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा अपने नाम से दाखिल खारिज करा कर लगान अदा कर रहे है। प्रश्नगत भूखण्ड बिहटा सैन्य हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु अर्जित किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना रैयती दावा घोषित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में वाद दायर किया गया, परन्तु रैयती वाद सं0 08के0 / 2017–18 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा ठोस कागजी साक्ष्य के अभाव में अपीलकर्ता के दावा को अमान्य कर दिया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा रैयती वाद सं0 08के0 / 2017–18 में दिनांक–16.12.2017 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। बकास्त / गैर मजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0–08के0 / 2017–18 में दिनांक–	ज्ञापांक ... दिनांक ... प्रतिलिपि, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को सूचनार्थ एवं आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पत्रांक 747/रा0 दिनांक 9.3.18 ... 1718 ... देवी एवं अन्य ... अपर समाहर्त्ता पटना

16.12.2017 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा ठोस कागजी साक्ष्य के अभाव में इस वाद के अपीलकर्ता के रैयती दावा को अमान्य कर दिय गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उनके पास प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने रैयती दावा के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिन्हें भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा नहीं देखा गया।

अतः वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले साक्ष्यों की समीक्षा कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। अपीलकर्ता को आदेश दिया जाता है कि वे भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के समक्ष अपना पक्ष रखें।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/12/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

16/12/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना